भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4470
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

डिस्कॉम की वित्तीय व्यवहार्यता

4470. श्री दिनेशभाई मकवाणा:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री अरूण गोविल:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री नव चरण माझी:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री राव राजेन्द्र सिंह:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार देशभर में विद्युत कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने की दिशा में किस प्रकार कार्य कर रही है;

(ख) विद्युत लागत को कम करने और डिस्कॉम की संवहनीयता में वृद्धि करने में नवीकरणीय ऊर्जा की क्या भूमिका है;

(ग) सरकार लागत को ध्यान में रखते हुए विद्युत प्रशुल्क में सुधार लाने के लिए विनियामक ढांचे को किस प्रकार सुदृढ़ करने की योजना बना रही है; और

(घ) सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सौर ऊर्जा के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार (जीओआई) विभिन्न पहलों के माध्यम से विद्युत वितरण कम्पनियों को उनके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए सहायता प्रदान कर रही है। कुछ प्रमुख पहल निम्नानुसार हैं:

i. संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) को वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस स्कीम के तहत धनराशि जारी करना राज्यों/वितरण यूटिलिटी से जुड़ा है, जो आपूर्ति की औसत लागत और प्राप्त औसत राजस्व के बीच अंतर अर्थात एसीएस-एआरआर अंतर और समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों सहित निर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार अपने निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक उपाय करते हैं।

ii. यदि वितरण यूटिलिटी हानि कम करने के उपायों को लागू करती है तो राज्य को जीएसडीपी के 0.5% के समतुल्य अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति देना।

iii. राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण स्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं जो निर्धारित मापदंडों के निमित्त विद्युत वितरण यूटिलिटी के निष्पादन पर निर्भर है।

iv. टैरिफ याचिकाओं को समय पर दाखिल करना और टैरिफ आदेश जारी करना।

v. ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और लागत प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम अधिसूचित किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागतें मूल्य संचरित हो और समय पर प्राप्त की जाएं।

vi. उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है।

केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से, राष्ट्रीय स्तर पर वितरण यूटिलिटी की एटीएंडसी हानि वित्त वर्ष 2021 में ~22% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में ~16.28% हो गई है और इसी अवधि के दौरान एसीएस-एआरआर अंतर 0.71 रुपये/किलोवाट घंटा से घटकर 0.19 रुपये/किलोवाट घंटा हो गया है।

(ख) : नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से यदि भार केंद्रों के निकट उत्पादित की जाए, तो इससे विद्युत की लागत कम होगी तथा वितरण यूटिलिटी की स्थिरता बढ़ेगी।

(**ग)** : लागत-प्रतिबिंबित विद्युत शुल्क में सुधार के लिए विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। इसके लिए नियम अधिसूचित किए गए हैं:

(i) यह सुनिश्चित करना कि टैरिफ लागत को प्रतिबिंबित करेगा और प्राकृतिक आपदा की स्थिति को छोड़कर अनुमानित और अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता के बीच कोई अंतर नहीं होगा, बशर्ते कि ऐसा अंतर, यदि कोई हो, अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(ii) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सहमत और किसी भी राष्ट्रीय योजना या कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित ट्रेजेक्ट्री के साथ समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानि में कमी के ट्रेजेक्ट्री को संरेखित करना।

(iii) उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने और संसाधन पर्याप्तता योजना के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किए गए विद्युत क्रय की विवेकपूर्ण लागतों को मूल्य संचरित करना।

(iv) उचित इक्विटी पर लाभ (आरओई) प्रदान करना और इसे उत्पादन और पारेषण के लिए केंद्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट आरओई के साथ संरेखित करना।

(v) टैरिफ आदेश का समय पर जारी करना और राज्य सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी का समय पर भुगतान करना।

(**घ) :** संसदीय क्षेत्र सहित देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:

i. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति।

ii. 30 जून 2025 तक चालू होने वाली सौर और पवन ऊर्जा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क माफ कर दिया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए, छूट 31 दिसंबर 2030 तक है और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए, छूट 31 दिसंबर 2032 तक है।

iii. नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण पहुंच प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना।

iv. टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से ग्रिड से जुड़े सौर, पवन-सौर हाइब्रिड और फर्म और डिस्पैचेबल आरई (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत क्रय के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

v. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत नई सौर ऊर्जा योजना (आदिवासी और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए) और धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) आदि जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं।

vi. नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता के निर्माण के माध्यम से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के तहत नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी।

vii. एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री की सुविधा के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट शुरू किया गया है।

viii. वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण के लिए पारेषण स्कीम।

ix. ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियम 2022 के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना।

****